न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रावतसर

प्रार्थीगण

1. ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम 2 तेजाराम पुत्र लूम्बाराम 3 फूसाराम पुत्र लूम्बाराम 4 बालाराम पुत्र बुधराराम 5 वीरमाराम पुत्र भैराराम 6 रेखाराम पुत्र भैराराम 7 हुकमाराम पुत्र भैराराम जातियान जाट निवासीयान प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.रावताराम पुत्र भोमाराम 2 गैरों पत्नी खेमाराम 3 पूराराम पुत्र धर्माराम 4 लच्छाराम पुत्र जीयाराम 5 कानाराम पुत्र जीयाराम 6 नेनू पत्नी जीयाराम 7 जैसाराम पुत्र भैराराम 8 मानाराम पुत्र भैराराम 9 पुरखाराम पुत्र भैराराम 10 रामाराम पुत्र नैनाराम 11 ताजाराम पुत्र नैनाराम 12 भारूराम पुत्र नैनाराम 13 गोसाईराम पुत्र जूंजाराम जाति मेघवाल 14 पेमाराम पुत्र लालाराम 15 मेहराराम पुत्र लालाराम 16 लुम्बाराम पुत्र लालाराम 17 चूनाराम पुत्र लाखाराम 18 पोकराराम पुत्र लाखाराम 19 जोगेन्द कुमार पुत्र लाखाराम 20 गवरीदेवी पत्नी लाखाराम 21 डालूराम पुत्र मंगलाराम 22 सोनाराम पुत्र मंगलाराम जातियान जाट निवासीयान प्रेमसागर तहसील एवं जिला बाड़मेर 23 सरपंच ग्राम पचांयत रावतसर 24 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन सख्या–356 / 2019 दिनांक–08.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षैत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 412 रकबा 52.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6222 – 6225 दिनांक– 08/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर